needy mothers free of cost at the Primary Health Centres.

4. Immunisation against diptheria whooping cough, bronchitis etc. of pre-school children.

5. Examination of blood of pregnant mothers with a view to speedily controlling venereal diseases.

6. Provision of safe, clean, free delivery and continuous health supervision before, during and after the birth through Maternity and Child Health Centres| Primary Health Centres.

7. Provision of about 120 mobile units for emergency maternity services and domiciliary cases. These emergency units will be linked with adequately developed obstetric units.

8. Improvement in and development of paediatric services.

9. Strengthening of the existing Primary Health Centres and increasing the number of maternity beds in each such Centre.

M.Ps' Hostel, New Delhi

650. { **Shri Jashvant Mehta:** / **Shri C. R. Raja:** / **Shri Onkar Lal Berwa:** }

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of flats which have been constructed in the new M.Ps' Hostel, New Delhi;

(b) whether the rent for the said flats has been fixed by Government; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) 108 single roomed and 36 double roomed flats are under construction.

(b) Not yet.

(c) Does not arise.

---

12 hrs.

RE: POINT OF PRIVILEGE

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश वीर शास्त्री —

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं ने जिसको बुलाया वह बोले और नहीं ?

श्री बागड़ी : मैंने आपके बुलाने से पहले निवेदन किया था ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप और मैं एक बराबरी के हैं, अगर आप पहले बुलाएं तो मुझे खामोश रहना होगा ।

श्री बागड़ी : मैं इस नाते से निवेदन कर रहा हूं कि मेरा विशेषाधिकार का एक प्रश्न था और वह सवालों के तुरन्त बाद लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उस के बारे में इत्तला नहीं मिली ?

श्री बागड़ी : इत्तला तो मिली है । उसी के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: इस तरह नहीं । मेरे पास आप तशरीफ लाएं ।

श्री बागड़ी: मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: इस तरह नहीं ।

श्री बागड़ी : एक मिनट के लिए सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : उसे इस तरह नहीं लिया जा सकता । मुझ से एक दरखास्त की गयी । मैंने उसको नामंजूर कर दिया, अगर आप को उसके बारे में कुछ उज्र है तो मेरे पास आइएगा ।

श्री बागड़ी : मैं आप से कल मिला भी था ।

अध्यक्ष महोदय : आप मिले थे तो मैं ने कहा था कि वह मेरे पास आ रहा है उस वक्त तक मेरे पास आया नहीं था । मैं ने उसे उसी वक्त मंगवा लिया और यह निर्णय दिया कि उसमें कोई विशेषाधिकार का सवाल नहीं था । अब आपको उसकी इत्तला मिल गयी है, अगर आपको कोई एतराज है तो आप मुझ से मिल सकते हैं और अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो लिख कर दे सकते हैं मैं उस पर विचार कर लूंगा । लेकिन उसको इस तरह से यहां नहीं उठाया जा सकता ।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में व्यवस्था का क्या प्रश्न हो सकता है । आपने एक नोटिस दिया और मैं ने उसको नामंजूर किया ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) इस प्रश्न के साथ बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं कि अगर नियम के अनुसार उन को यहां उठाने का मौका नहीं दिया जाता तो मामला बहुत कुछ बिगड़ सकता है । मैं सिर्फ एक बात आपकी सेवा में अर्ज कर दूं । हमारे बारे में यह गलतफहमी फैलायी जा रही है कि हम हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री का अंग्रेजी में बोलना छुड़ाना चाहते हैं । यह बात बिल्कुल गलत है । हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का वह प्रधान मंत्री जिस की मातृ भाषा हिन्दी है उसे यहां अंग्रेजी हरगिज न बोलने दी जाए । अब वह बात हो चुकी । प्रधान मंत्री साहब ने अपना बयान दे दिया । अखबारों ने उसे गलत छापा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने बागड़ी साहब को बन्द किया तो इस मामले को डाक्टर साहब ने उठा दिया । यह मुनासिब नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब एक चीज सदन के सामने आ चुकी है तो मुझे इसे नियम 224 में इसे उठाने दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया ।

श्री बागड़ी : एक चीज सदन के सामने आचुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

12.03 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (*Query*)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : इस सदन की यह परम्परा रही है कि यदि केन्द्रीय सरकार के विजिलेंस विभाग या इंटेलीजेंस विभाग का सम्बन्ध किसी प्रश्न से रहा हो तो उसको सदन में उठाया जा सकता है । संसद् के लगभग बीस सदस्यों ने आपकी सेवा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस तरह का भेजा था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या के बारे में केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के द्वारा जांच करायी गयी है, अगर करायी गयी है तो उसका क्या परिणाम आया है—

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लिखा था कि वह क्वेस्चन अवर के बारे में कोई बात उठाना चाहते हैं । मैं ने उसकी आज्ञा दी । अगर आप क्वेस्चन अवर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि उसको किस तरह से किया जाए या उसमें क्या तबदीली की जाए तो कह सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने यह लिख कर दिया था कि मैं इस बारे में आप की व्यवस्था चाहता हूं—

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि जो तरजुमा मुझे दिया गया गलत हो । मैं इसको फिर देख लेता हूं ।